# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दूदू जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 21/2018

रज्जु दिनांक : 23/04/2018

निर्णय दिनांक : 21/10/19

1. जन्नत पत्नी मुन्ने खां उर्फ मुनीर खां, जाति देशवाली मुसलमान निवासी नोल्या, तहसील दूदू, जिला जयपुर राज0।
2. मौहम्मद हुसैन पुत्र मुन्ने खां उर्फ मुनीर खां, जाति देशवाली मुसलमान निवासी नोल्या, तहसील दूदू, जिला जयपुर राज0।
3. सुल्तान पुत्र मुन्ने खां उर्फ मुनीर खां, जाति देशवाली मुसलमान निवासी नोल्या, तहसील दूदू, जिला जयपुर राज0।

—— प्रार्थीगण

बनाम

1. रूकसाना पत्नी इस्लामुद्दीन जाति देशवाली, निवासी नोल्या हाल निवासी कानपुरा, तहसील अजमेर, जिला अजमेर, राज0।
2. रहीस मौहम्मद पुत्र रोशन मौहम्मद नाबालिग जरिये संरक्षक माता रूकसाना पत्नी इस्लामुद्दीन, जाति देशवाली, निवासी नोल्या हाल निवासी कानपुरा, तहसील अजमेर, जिला अजमेर, राज0।
3. रूकसार पुत्री रोशन मौहम्मद, नाबालिग जरिये संरक्षक माता रूकसाना पत्नी इस्लामुद्दीन, जाति देशवाली, निवासी नोल्या हाल निवासी कानपुरा, तहसील अजमेर, जिला अजमेर, राज0।
4. बीला पुत्री मुन्ने खां उर्फ मुनीर पत्नी हकीम, जाति मुसलमान, निवासी बल्लू खां की ढाणी, मौजमाबाद, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
5. बानो पुत्री मुन्ने खां उर्फ मुनीर पत्नी रफीक, जाति मुसलमान, निवासी बल्लू खां की ढाणी, मौजमाबाद, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
6. छोटी पुत्री मुन्ने खां उर्फ मुनीर पत्नी सलीम, जाति मुसलमान, निवासी मौजमाबाद, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर, राज0।
7. शाखा प्रबन्धक महोदय, शाखा यूको बैंक दूदू जिला जयपुर, राज0।
8. सबरजिस्ट्रार, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।
9. तहसीलदार, तहसील दूदू, जिला जयपुर, राज0।

—— अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

Scanned by CamScanner

## प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति – श्री भंवरलाल जैन
श्री विनोद कुमार जैन
श्री नानूराम धाभाई
विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण

अप्रार्थी संख्या 1 ल. 3 के विरूद्ध
कार्यवाही एकतरफा अमल में लायी गयी।

प्रतिवादी संख्या 7, 8, 9 फोरमल पक्षकार हैं।

निर्णय दिनांक 21/10/19

## – निर्णय –

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना–पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि ज़माबन्दी सम्वत 2073–2076 के आराजी खाता संख्या 7 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 352, 390, 391, 393, 394, 395, 425 कुल किता 31 कुल रकबा 16.2000 हैक्टेयर में प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 के पिता/पति/ससुर/दादा के नाम 1/7 हिस्सा, खाता संख्या 30 के आराजी खसरा नम्बर 335 के आराजी खसरा नम्बर 0.0600 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.0600 हैक्टेयर में प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 लगाय़त 6 के पिता/पति/ससुर/दादा के नाम हिस्सा 1/4, खाता संख्या 56 के आराजी खसरा नम्बर 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403 कुल किता 08 कुल रकबा 3.6400 हैक्टेयर में प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 के पिता/पति/ससुर/दादा के नाम हिस्सा 1/5, खाता सख्या 57 के आराजी खसरा नम्बर 234, 234/884, 236, 334, 341, 342, 343, 350, [illegible], 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 709, 710, 711, 712, 713, 782 कुल किता 25 कुल रकबा 13.4400 हैक्टेयर वाके ग्राम नोल्या, तहसील दूदू, जिला जयपुर में प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 6 के पिता/पति/ससुर/दादा के नाम हिस्सा सम्पूर्ण खातेदारी मे दर्ज चला आ रहा हैं, जिसमें प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 6 अपने पति/पिता मुन्ने खा उर्फ मुनीर खां पुत्र खुदाबक्स व उनके पिता खुदाबक्स पुत्र कमाल खा के नाम दर्ज हिस्से मे से प्रार्थीगण का संयुक्त रूप से 3/6 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 4 का 1/6 हिस्सा, पतिप्रार्थी संख्या 5 का 1/6 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 6 का 1/6 हिस्सा के अनुसार काबिज काश्त एवं खातेदार काश्तकार

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

Scanned by CamScanner

है। पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य है। प्रार्थीगण के पुत्रों/भाईयों रोशन मौहम्मद व छोटु खां का स्वर्गवास हो चुका है, जिसमें छोटु नाऔलाद फौत हुआ है एवं रोशन मौहम्मद के एक पुत्र रहीस मौहम्मद अप्रार्थी संख्या 2 व एक पुत्री रूकसार अप्रार्थी संख्या 3 हुये थे। रोशन मौहम्मद की पत्नी रूकसाना अप्रार्थी संख्या 1 उसके पति रोशन मौहम्मद के स्वर्गवास के कुछ समय पश्चात ही नाता विवाह करने हेतु प्रार्थीगण के पति/पिता मुन्ने खां उर्फ मुनीर खां से कहा जिस पर मुनीर खां ने प्रार्थीगण अपने परिवार के व गांव मौजिज व्यक्तियों तथा रिश्तेदारों को इकट्ठा किया और जिसके साथ वह नाता विवाह करना चाहती थी, इस्लामुद्दीन को भी बुलाया और तब प्रार्थीगण के पति/पिता व प्रार्थीगण ने गांव के रिश्तेदारों ने व मौजूद व्यक्तियों ने रोशनके बच्चों को प्रार्थीगण के पास छोडकर जाने को कहा परन्तु रूख्साना रोशन के बच्चों को अपने साथ ले जाने के लिये कहा तब प्रार्थीगण के पिता/पति ने व गांव व रिश्तेदारों के मौजूद व्यक्तियों ने कहा कि अगर रूख्साना रोशन के बच्चों को साथ लेकर जाती है, तो उनका प्रार्थीगण के पिता/पति मुनीर खां की सम्पति में कोई हक व अधिकार नही रहेगा। जिस पर रूकसाना व उससे नाता विवाह करने वाला इस्लामुद्दीन ने प्रार्थीगण के पति/पिता व गांव तथा रिश्तेदारों की मौजिज व्यक्तियों के उक्त कथन की रोशन के बच्चों को साथ ले जाने पर उनका मुनीर खां की सम्पति में कोई हक व अधिकार नही रहेगा की बात सहमत हो गये एवं प्रार्थीगण के पति/पिता ने उक्त सहमति के आधार पर ही उक्त रूख्साना को नाता विवाह करने एवं बच्चों को साथ लेकर जाने की सहमति दी, जिस पर रूख्साना अप्रार्थी संख्या 1 अपने दोनों बच्चों अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को साथ लेकर सन् 2004 से इस्लामुद्दीन के पास ग्राम कानपुरा चली गयी तथा वही रहकर जीवनयापन कर रही है तथा इस्लामुद्दीन की चल-अचल सम्पति सम्पति का ही उपयोग उपभोग कर रहे है एवं उपरोक्त आराजीयात पर अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 का कभी भी कब्जा काश्त नही रहा हैं। इस प्रकार रोशन मौहम्मद की पत्नी अप्रार्थी संख्या 1 अपने पुत्र-पुत्री अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को साथ लेकर कानपुरा जाने से एवं उनका इस्लामुद्दीन की सम्पति का उपयोग उपभोग करने एवं इस्लामुद्दीन की सम्पति में ही अधिकार होने से एवं अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपनी स्वेच्छापूर्वक रोशन खां की सम्पति के अधिकार को त्याग करने से विवादित आराजीयात मे अप्रार्थी संख्या 1 ल. 3 का किसी प्रकार का कोई हक व हिस्सा नही बनता है इसी प्रकार छोटु जो नाऔलाद फौत हो गया था इसलिये उसके हिस्से का भी प्रार्थीगण एव अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 6 में निहित हो गया है, इसलिये कानूनन विवादित आराजीयात में प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 6 के

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

Scanned by CamScanner

पति/पिता/ससुर/दादा मुन्ने खा उर्फ मुनीर खां पुत्र खुदाबक्स व खुदाबक्स पुत्र कमाल खा के नाम दर्ज हिस्से मे से प्रार्थीगण का 3/6 हिस्सा, अप्रार्थी संख्या 4 का 1/6 हिस्सा, पतिप्रार्थी संख्या 5 का 1/6 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 6 का 1/6 हिस्सा के अनुसार काबिज काश्त है तथा इसी अनुसार घोषणा कराने के अधिकारी है। पक्षकारान के पति/पिता/ससुर/दादा मुन्ने खा उर्फ मुनीर खां का इंतकाल दिनांक 12/01/2017 को हो गया है, जिसके सभी सामाजिक क्रियाकर्म बाहरवां, चालीसवां, फातीहा एवं अन्य सभी क्रियाकर्म प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 4 लगायत 6 ने ही सम्पादित किये है। वर्तमान में जमीनों के भावों में अप्रत्याशित वृद्धि हो जाने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 की नियत में फितुर उत्पन्न हो गया और वह भूमाफियाओं के बहकावे में आकर अपने उक्त कथन जो उसने मुनीर खां की सम्पति में कोई हक व हिस्सा नही होने बाबत किया था, से मुकर रही है एवं राजस्व कारकुनानों से साजकर रोशन मौहम्मद का जो हिस्सा बनता था को अपने नाम लगवाने व उक्त आराजीयात पर कब्जा करने पर आमादा है, जिसका उन्हें कोई विधिक अधिकार नही है, अप्रार्थी संख्या 1 आज भी अपने द्वारा किये गये मौखिक वचन से बाध्य व पाबन्द है। दिनांक 20/04/2018 को जब प्रार्थीगण विवादित आराजीयात पर सार-संभाल करने गये तो वहां पर अप्रार्थी संख्या 1 दीगर व्यक्तियों को वादग्रस्त आराजी बात रही थी, जब प्रार्थीगण ने इस बाबत अप्रार्थी संख्या 1 से पूछा तो अप्रार्थी संख्या 1 ने प्रार्थीगण को धमकी दी कि विवादित आराजीयात जो मुन्ने खां उर्फ मुनीर खां के नाम से दर्ज है, जिसका इंतकाल हो चुका है, अब उसकी विरासत का नामान्तरकरण खुलवाकर स्व0 रोशन खां का जो उक्त जमीन में हिस्सा बनता था, जो मैने छोड दिया था, का नामान्तरकरण खुलवाकर दीगर व्यक्तियों को शीघ्र ही बैचान करेंगे, इसलिये प्रार्थीगण को अपने खातेदारी अधिकारों की रक्षार्थ यह प्रार्थना-पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगण पेश किया जाना आवश्यक हुआ हैं।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना-पत्र के अन्य बिन्दूओं के साथ-साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही है कि "अतः प्रार्थना-पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ-पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि विवादित आराजी वर्णित प्रार्थना-पत्र के पैरा सं. 2 में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलान्दाजी उत्पन्न न स्वंय करें न अन्य से करावें तथा न कब्जे काश्त से बेदखल करें तथा राजस्व रिकार्ड एंव मौके की यथावत स्थिति बनाये रखें तथा किसी प्रकार से हस्तान्तरण नही करें। इस हेतु तहसीलदार/सबरजिस्ट्रार दूदू को लिखा जावें।"

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

Scanned by CamScanner

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण जारी की गयी। दिनांक 29/10/2018 को अप्रार्थी संख्या 1 ल. 3 बावजूद तामिल उपस्थित नही होने से उसके विरूद्ध कार्यवाही एकतरफा अमल में लायी गयी। प्रतिवादी संख्या 7 ल. 9 फोरमल पक्षकार हैं।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया व प्रार्थी गण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा, दस्तावेजात फोटो प्रति नकल जमाबन्दी खाता संख्या 7, 30, 56, 57 वाके ग्राम नोल्या का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अवलोकन से स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि मुताबिक जमाबन्दी के अनुसार विवादित आराजीयात वर्तमान में खाता संख्या 7 मुन्ने खां उर्फ मुनीर खां, खाता संख्या 30 खुदाबक्स पुत्र कमाल खां, खाता संख्या 56 मुनीर खां पुत्र खुदाबक्स, खाता संख्या 57 मुन्नीर खां पुत्र खुदाबक्स के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत सिजरा अनुसार उक्त खातेदारान मुनीर खां व खुदाबक्स पक्षकारान के पूर्वज हैं। प्रार्थीगण ने सिजरां दर्शाकर विवादित आराजीयात में अप्रार्थी संख्या 1 ल. 3 का कोई हिस्सा व सम्बन्ध सरोकार नही होना दर्शित कर वाद व प्रार्थना–पत्र पेश कर अप्रार्थीगण को पाबन्द करवाना चाहा है, चूंकि पक्षकारान के हकों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर ही हो सकेगा तथा खातेदार मुन्ने खां उर्फ मुनीर खां का स्वर्गवास हो चुका है, इसलिये जब तक पक्षकारान के हक हकूकों का निस्तारण नही हो जावें, तब तक पक्षकारान को पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं, जिससे प्रकरण में किसी प्रकार की विसंगतीयां उत्पन्न न हो। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष में पाया जाता हैं, इस प्रकार प्रथम प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति तीनों बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में है, जिनको प्रार्थीगण ने बखूबी साबित किया है, ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता हैं।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से ताफैसला मूल वाद पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी खाता संख्या 7 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 352, 390, 391, 393, 394, 395, 425 कुल किता 31 कुल रकबा 16.2000 हैक्टेयर, खाता संख्या 30 के आराजी खसरा नम्बर 335 के आराजी खसरा नम्बर 0.0600 हैक्टेयर कुल किता 01 कुल रकबा 0.0600 हैक्टेयर,

उपखण्ड अधिकारी
दूदू

Scanned by CamScanner

खाता संख्या 56 के आराजी खसरा नम्बर 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403 कुल किता 08 कुल रकबा 3.6400 हैक्टेयर, खाता सख्या 57 के आराजी खसरा नम्बर 234, 234/884, 236, 334, 341, 342, 343, 350, 362, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 709, 710, 711, 712, 713, 782 कुल किता 25 कुल रकबा 13.4400 हैक्टेयर वाके ग्राम नोल्या, तहसील दूदू, जिला जयपुर में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी, बेजामजाहमत उत्पन्न नही करें तथा राजस्व रिकार्ड व मौके की की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 21/10/19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
दूदू (जयपुर)

Scanned by CamScanner